

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
प्रतिकरापवंचन अलवर।

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स सुप्रीम सिलेण्डर्स लि०,  
इण्डस्ट्रीयल एरिया भिवाडी, अलवर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,  
उप राजकीय अभिभाषक  
श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 05/10/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 423/उपा-भरत /05-06/सीएसटी में पारित आदेश दिनांक 04.07.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन अलवर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2003 के अन्तर्गत केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 9 के तहत कायम मांग राशियों को अपास्त किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी एल.पी.जी. सिलेण्डर का निर्माणकर्ता व्यवसायी है, जिसके द्वारा पेट्रोलियम सिलेण्डर सरकारी उपक्रम इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम आदि को विक्रय किये जाते हैं। उपरोक्त सरकारी उपक्रम व्यवहारी को माल के क्रय हेतु प्रोविजनल मूल्य पर आदेश देते हैं परन्तु माल का अन्तिम मूल्य सरकारी स्तर पर बाद में तय किया जाता है कि प्रति सिलेण्डर क्या भुगतान किया जावेगा। प्रत्यर्थी को उपरोक्त कंपनियों द्वारा परचेज ऑर्डर दिया जाता है। प्रत्यर्थी उन परचेज ऑर्डर की पालना में क्रेता को माल देता है। आलौच्य अवधि के पश्चात उक्त कंपनियों द्वारा जो अन्तिम मूल्य तय किया गया था उसमें से प्रोविजनल मूल्य उक्त कंपनियों द्वारा घटा गया। किन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा अस्वीकार करते हुए उक्त राशि को बिक्री का भाग मानते हुए सम्पूर्ण राशि पर कर व ब्याज आरोपित किया गया तथा उक्त राशि में से प्रत्यर्थी द्वारा रुपये 1,95,563/- जो उसके द्वारा जमा कराये गये थे, का रिफण्ड चाहा गया। जिससे असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.07.2006 के द्वारा स्वीकार कर ली। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
4. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का आदेश अविधिक होने के कारण अपास्तनीय है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि प्रत्यर्थी द्वारा जो माल निर्मित कर भारत सरकार के उपक्रमों को विक्रय किया है उसके संबंध में प्रत्यर्थी ने जब जब माल सप्लाई किया तो प्रोविजनल रूप से बिल जारी किये गये थे उसके अनुरूप कर को जमा करा दिया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा जो माल बेचा जाता है वह प्रोविजनल प्राइज के आधार पर बेचा जाता है उसी पर कर जमा कराया जाता है। बाद में एक निश्चित फार्मूला सरकार द्वारा तय किया जाता है एवं जो भी अंतिम मूल्य सूचित किया जाता है वह भारत सरकार के पेट्रोलियम व नेचुरल गैस मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होता है। प्रत्यर्थी द्वारा यह प्रक्रिया पूर्व के कई वर्षों में भी अपनाई गई है एवं पूर्व के वर्षों में प्रत्यर्थी द्वारा प्रोविजनल रूप से जो राशि जमा करायी एवं उसके पश्चात जब अंतिम मूल्य राशि बढी तो प्रत्यर्थी ने बढी हुई राशि पर कर जमा कराया परन्तु आलौच्य वर्ष ही ऐसा वर्ष था जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा जो प्रविजनल बिल जारी किये गये उसमें कटौती की गई एवं जो क्रय मूल्य अनुमोदित किये गये वे प्रत्यर्थी द्वारा प्रोविजनल बिलों की राशि में से कम थे। इस प्रकार विक्रय मूल्यों में कमी होने से प्रत्यर्थी द्वारा जो कर अपने पास से जमा कराया गया था व अधिक जमा हुआ एवं उसी की पूर्ण वापसी की मांग जब सशक्त अधिकारी के समक्ष की तब उन्होंने तथ्यों पर बिना पूर्णतया गौर किये अविधिक रूप से प्रत्यर्थी द्वारा की गई प्रत्यापन की मांग को ठुकरा दिया एवं प्रोविजनल राशि पर कर आरोपण किया। उक्त आरोपण विधि अनुकूल नहीं होने से अपीलीय अधिकारी ने उचित रूप से अपील स्वीकार की। अतः उन्होंने अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड अध्ययन किया गया। रिकार्ड से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यर्थी के समक्ष संव्यवहार भारत सरकार की कंपनियों के साथ है एवं भारत सरकार की कंपनियों द्वारा प्रत्यर्थी को दिये गये क्रयादेशों के संबंध में जो पत्र दिये गये हैं उनमें कटौती की गई है उनका विवरण निम्नानुसार है :-

|                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि० का पत्र संख्या | LPG-MKTG/BVR/GM 01-1-00     |
| इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि० का पत्र संख्या             | LPG-SD/BSN 15-11-2000       |
| इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि० का पत्र संख्या             | LPG-O/M 2 31-10-2000        |
| भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि० का पत्र संख्या        | LPG-E.Q.6 21-11-2000        |
| भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि० का पत्र संख्या        | LPG-E.Q.6 31-10-2000.       |
| भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि० का पत्र संख्या        | LPG-E.Q.11 13-04-2000       |
| भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि० का पत्र संख्या        | LPG-E.Q. POLICY CON 7-04-00 |
| भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि० का पत्र संख्या        | LPG-EQPT/9/2086 01-05-1999  |

सशक्त अधिकारी द्वारा करारोपण करते हुए प्रतिदाय की मांग को निरस्त करने का यह आधार लिया है :-

“व्यवहारी ने उक्त विक्रय में से रुपये 48,89,084/- का विक्रय की राशि तेल कंपनियों द्वारा काटने के कारण उस पर जमा कर रुपये 1,95,563/- जो इस राशि में सम्मिलित है, को वापस करने हेतु निवेदन किया है जिसका कारण यह बतलाया कि प्रारम्भ में अधिक भुगतान को काट लिया गया है अतः उस पर जमा कर वापस किया जावे। व्यवहारी का तर्क युक्तिसंगत नहीं है। प्रथम तो व्यवहारी ने कर तेल कंपनियों से एकत्रित कर उसे जमा कराया है। अतः उसे वापस लेने का उसे कोई अधिकार नहीं है। दूसरा एक लम्बे समय के बाद क्रेता व विक्रेता के मध्य कोई सौदा होने से पूर्व में किए गए विक्रय पर विपरीत प्रभाव नहीं डाला जा सकता है। क्रय विक्रय का सौदा पूर्व में ही वही मान्य है। ऐसी स्थिति में व्यवहारी का तर्क नहीं माना जा सकता। व्यवहारी ने तो कर वापसी का अधिकारी है और ना ही बाद की सोच के आधार पर विक्रय को कम करने का। अतः उसका तर्क अस्वीकार किया जाकर पूर्व विक्रय पर करारोपण किया जाता है।”

व्यवसायी के रिफण्ड के दावे के कम में धारा 53(5) का अवलोकन किया जाना समीचीन है। अतः कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि व्यवसायी के रिफण्ड के प्रकरण का निर्णय करते समय उक्त धारा 53(5) की पालना सुनिश्चित करे जो निम्न प्रकार है

**53. Refund .....**

(5) Notwithstanding anything contained in this section or in any other law for the time being in force, only the dealer or the person, who has actually suffered the incidence of tax or has paid the amount, can claim a refund and the burden of proving the incidence of tax so suffered or the amount so paid shall be on the dealer or the person claiming the refund.

उपरोक्त सभी पत्रों को देखने एवं रेकार्ड देखने से स्पष्ट होता है कि अपीलांत द्वारा जो सिलेण्डर बेचे गये हैं वे सरकारी कम्पनी को बेचे गये हैं एवं जो वास्तविक प्रतिफल अपीलांत को प्राप्त हुआ है उसी पर करारोपण किया जा सकता है, जो अधिनियम की धारा 2एच में स्पष्ट है। अधिनियम की धारा 2एच में निम्न व्यवस्था है :-

“sale price” means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale less any sum allowed by way of any kind of discount/or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods at the time of or before the delivery of the cost of installation in cases where such cost is separately charged.

यहां यह उल्लेखनीय है कि करारोपण प्राप्त प्रतिफल की राशि पर किया जा सकता है। अपीलीय अधिकारी ने कारणों सहित निर्णय पारित किया है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनया गया।

(मदन लाल मालवीय)  
सदस्य